बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

हमारा बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 बजट (1) 15/ 2017 प0पा0 51......(नि०) आ०/ दिनांक - 04/01/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा०प्र०से०

निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान,

पटना।

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2017—18 में आय—व्ययक शीर्ष 2403— पशुपालन, राज्य स्कीम 101— पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 0101— अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, मांग संख्या— 02, विपत्रकोड— 02—2403001010101, राज्य स्कीम के अन्तर्गत पशुओं को FMD रोग से बचाव हेतु द्वितीय चरण में FMD टीकाकरण की योजना हेतु अधीनस्थ कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 21,70,48,000/— (इक्कीस करोड़ सत्तर लाख अड़तालिस हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या—4065 दिनांक— 20.12.2017 के आलोक में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹ 21,70,48,000/— (इक्कीस करोड़ सत्तर लाख अड़तालिस हजार रूपये) मात्र आवंटित किये जाते है।

क्र0 सं0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	13— कार्यालय व्यय	0101.13.01— कार्यालय व्यय	4902000
2		0101.13.02— वाहन का ईधन एवं रख—रखाव	1202000
3	21—सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	0101.21.01— सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	159308000
4	26— विज्ञापन और प्रकाशन	0101.26.01— विज्ञापन और प्रकाशन	2136000
5	28— व्यावसायिक सेवाएँ	0101.28 02— संविदा सेवाएँ	49500000
योग 02—2403.00.101.0101—अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना			**217048000**
₹ 21,70,48,000/— (इक्कीस करोड़ सत्तर लाख अड़तालिस हजार रूपये) मात्र।			

2— इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में मांग सं0—02 के अधीन आय—व्ययक शीर्ष 2403 — पशुपालन, राज्य स्कीम 101 —पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 0101 — अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्रकोड —02—2403001010101 के अन्तर्गत विकलित होगा ।

3— यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिये राज्य स्कीम के अन्तर्गत ''पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य'' के तहत पशुओं को FMD रोग से बचाव हेतु द्वितीय चरण में निःशुल्क FMD टीकाकरण की योजना के लिए दिया जा रहा है। यह आवंटन प्रथम अनुपूरक आगणन से आच्छादित है।

4— वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998, 428/वि० दिनांक— 31.03.2017, 3002/वि० दिनांक— 26.04.2017 एवं वित्त विभाग से प्राप्त प्रथम अनुपूरक आगणन से संबंधित विमुक्ति आदेश पत्रांक— 942/वि0, दिनांक—01.09.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) वेतन–भत्ते को छोड़कर एक विषयशीर्ष की राशि दूसरे विषयशीर्ष में व्यय नहीं की जायेगी ।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग –1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हों।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करा दें।

(घ) वित्तीय वर्ष 2017–18 का प्रर्त्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

5– जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 51 नि०आ०/ पटना–15, दिनांक 04/01/2018

प्रतिलिपि – उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या – टी० ए०– 57 – 96–97–प०पा०–9–46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 51 नि०आ०/ पटना–15, दिनांक 04/01/2018

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 51 नि०आ०/ पटना–15, दिनांक 04/01/2018

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट–3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 51 नि०आ०/ पटना–15, दिनांक 04/01/2018

प्रतिलिपि– जिला कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 51 नि०आ०/ पटना–15, दिनांक 04/01/2018

प्रतिलिपि– सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा–09/योजना शाखा–06 एवं 10, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।